460

न्यायालय समक्ष राजस्व मण्डल ग्वालियर (कैंप,भोपाल

निग0 2737-I/15 रा.निगरानी क्रमांक /2015

1. तुलसीराम दत्तक पुत्र रामगोपाल, पुत्र कमर सिंह रघुवंशी
2. श्रीमती मायाबाई बेवा कमर सिंह

दोनों कृषक ग्राम हतोड़ा तहसील बौसादा
जिला विदिशा (म.प्र.) ——— निगरानीकर्ता/आवेदकगण

विरूद्ध

1. सौदान सिंह पुत्र दर्शन सिंह रघुवंशी
2. राजाराम पुत्र श्री काशीराम रघुवंशी
3. श्रीमती काशीबाई बेवा बाबूलाल रघुवंशी
4. नंदकिशोर पुत्र देवीलाल ब्राहम्मण

समस्त निवासी-ग्राम हतोड़ा तहसील बासौदा
जिला विदिशा (म.प्र.)

5. मध्यप्रदेश शासन,

द्वारा-कलेक्टर,विदिशा।

........उत्तरदातागण

227

श्री जी० एस० चौहान अधि० द्वारा आज दि० 20/7/15 को प्रस्तुत।

20/7/15

अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर
भोपाल संभाग, भोपाल

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959

महोदय,

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय बासौदा जिला विदिशा द्वारा प्रकरण क्रमांक 37/अपील/2014-15 (सोदान सिंह विरूद्ध श्रीमती मायाबाई व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 20.05.2015 से दुखी होकर यह निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष समय सीमा में सादर प्रस्तुत है ।

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है

01. यह कि परिवार के मुखिया श्री उधम सिंह के पास ग्राम हतोड़ा तहसील बासौदा में स्थित भूमि आराजी क्रमांक 62 रकबा 2.487 हेक्टेयर एवं 63, 66/1, 87/1, 115/1, 102/2, 105/1, 110/1, 112, 162/2, 185/1, 204/1 210, 235, 298, 307/1 कुल किता 15 रकबा 7.936 हेक्टेयर भूमि राजस्व अभिलेखों में भूमि स्वामी स्वामित्व के रूप में दर्ज थी । जिसे आगे चलकर विवादित भूमि कहा जावेगा एवं इसी प्रकार ग्राम गंज पटवारी हल्का नं. 08 कुल रकबा 8.497 हेक्टेयर भूमि राजस्व अभिलेखों में भूमि स्वामी स्वामित्व के रूपमें अंकित होकर चली आ रही थी । सुविधा की दृष्टि से इस परिवार का वंश वृक्ष इस प्रकार है :-

3

XXIX(a)-BR(H)-11

460

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-2737-एक/15 **जिला** - विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24-04-19 को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	